न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे),वाराणसी
दाण्डिक वाद संख्या–4406 / 2017

सरकार बनाम मनीष कुमार गुप्ता व अन्य

धारा–380,411भा0दं0सं0
थाना–जी0आर0पी0 कैंट,वाराणसी।
अ0सं0–898 / 2017

संस्वीकृत बयान मुल्जिम

नाम अभियुक्त– विनोद कुमार पुत्र बसंता, निवासी ग्राम हूसेपुर कबूलपुरथाना जफराबाद जिला–जौनपुर।

प्रश्न–1 अभियोजन कथनानुसार दिनॉक–16.06.17 को समय लगभग1.30 ए.एम पर वादी मुकदमा भानु प्रकाश गाड़ी संख्या 13167 कोलकाता से आगरा कैन्ट से आसनसोल जंक्शन से मथुरा जं0 के लिए एस–5 / 72सीट पर यात्राा कर रहा था कि उक्त ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन पर आई तो उसने उसने देखा की उसका साइड में रखा पर्स में निम्न सामान दो मोबाइल फोन ,पहचान पत्र छुट्टी प्रमाण पत्र ,पेन कार्ड,आधार कार्ड व एटीएम कार्ड आदि की चोरी किया और आपको जी.आर.पी. कैन्ट के पुलिस कर्मचारियो द्वारा दिनॉक–21.06. 2017 को समय करीब 3.10 ए.एम पर गिरफतार किया गया तो आपके कब्जे से 200 / – रूपये उपरोक्त घटना से संबंधित बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–**जी हॉ**

प्रश्न–2 क्या आप स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर रहे हैं
उत्तर–जी हां

प्रश्न–3 क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर– हां गरीब हूं कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित आया। उसके द्वारा अपराध अंतर्गत धारा–380,411 भा0दं0सं0 के अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छा से की है। अतः उसे धारा–380,411 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कहना है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, यह उसका प्रथम अपराध है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के कब्जे से सोने की मु0–200/– रूपये जी0 आर0 पी0 द्वारा बरामद किया गया था। अभियुक्त इस मामले में दिनॉक–21.06.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व हैं। अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है,उसके परिवार का सम्पूर्ण दायित्व उसी पर है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के उक्त तर्कों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है न ही कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थिति में अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त– **विनोद कुमार** को मु0अ0सं0–898/2017 धारा 380,411 भा0दं0सं0 के अपराध में दोष सिद्व किया जाता है।

अभियुक्त–विनोद कुमार को धारा 380 भा0 दं0 सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त–को धारा 411 भा0दं0सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त का सजा यावी वारण्ट बनाकर जिला–कारागार वाराणसी प्रेषित किया जाय।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी ।

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे),वाराणसी
दाण्डिक वाद संख्या–4406 / 2017

सरकार बनाम मनीष कुमार गुप्ता व अन्य

धारा–380,411भा0दं0सं0
थाना–जी0आर0पी0 कैंट,वाराणसी।
अ0सं0–898 / 2017

संस्वीकृत बयान मुल्जिम

नाम अभियुक्त– सोनू कुमार चौहान पुत्र अवध बिहारी चौहान, उम्र 27वर्ष निवासी ग्राम डुभा थाना सिकरी जिला–बक्सर (बिहार)।

प्रश्न–1 अभियोजन कथनानुसार दिनॉक–23.09.2017 को कैन्ट रेलवे स्टेशन में बने ओवर ब्रिज के प्लेट फार्म नम्बर 6 / 7 के पश्चिमी ओर व्रिज के सीढ़ियों के पास से आपको जी. आर.पी.कैन्ट,की पुलिस कर्मचारियों द्वारा समय 2.30 बजे गिरफतार किया गया तो आपके कब्जे से चोरी का मोबाईल बरामद हुआ। इस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

उत्तर–**जी हॉ**

प्रश्न–2 क्या आप स्वेच्छा से जुर्म इकबाल कर रहे हैं
उत्तर–जी हां

प्रश्न–3 क्या आपको कुछ और कहना है ?

उत्तर– हां गरीब हूं कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

सुनकर तसदीक किया।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित आया। उसके द्वारा अपराध अंतर्गत धारा–380,411 भा0दं0सं0 के अपराध की संस्वीकृति स्वेच्छा से की है। अतः

उसे धारा–380,411 भा0दं0सं0 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी।

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त का कहना है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करता है, यह उसका प्रथम अपराध है। अतः उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के कब्जे से चोरी का मोबाईल जी0 आर0 पी0 द्वारा बरामद किया गया था। अभियुक्त इस मामले में दिनॉक–23.10.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्व हैं। अभियुक्त का कथन है कि वह गरीब है, मेहनत मजदूरी करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है,उसके परिवार का सम्पूर्ण दायित्व उसी पर है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त के उक्त तर्कों का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया है न ही कोई अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थिति में अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त–**सोनू कुमार चौहान** को मु0अ0सं0–898/2017 धारा 380,411 भा0दं0सं0 के अपराध में दोष सिद्व किया जाता है।

अभियुक्त–सोनू कुमार चौहान को धारा 380 भा0 दं0 सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त–को धारा 411 भा0दं0सं0 के आरोप में जेल में विताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा मु0 200/– रूपये अर्थ दण्ड से भी दाण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर उसे दो दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त का सजा यावी वारण्ट बनाकर जिला–कारागार वाराणसी प्रेषित किया जाय।

दिनांक–04.05.2018

(**रण विजय प्रताप सिंह**)
(ए0सी0जे0एम0,उत्तर रेलवे),
वाराणसी ।